न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 151 सन 2024

अनवान :–

1. रामलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामस्वरूप पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. दलीप कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. ज्याना पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. देवकी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सरस्वती पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/07/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की 8.00 बीधा , खसरा न0 127 की 15.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि स्थित थी जिसे वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम जाति जाट को दिनांक 16.07.1971 को आवंटित की गई थी।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की 8.00 बीधा व साबिका खसरा न0 127 की 15.00 बीधा कुल 23.00 बीधा को भू0 प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 1448/1179 ,1484/45 ,खसरा न0 43 में परिर्वतन व पैमुद किये गये है जो हाल हैक्टरों में परिर्वतन होकर खसरा न0 1448/1179 की 3.7930हैक खसरा न0 1484/45 की 0.8220हैक व खसरा न0 43 की 1.2010हैक में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है जो वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम के नाम चली आ रही थी उक्त आवंटन से लेकर पहले वादीगण के पिता के कब्जा काश्त में थी वर्तमान में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही ह।

वाद भूमि वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूघाराम को दिनांक 16.07.1971 को आवंटन की गई थी जो वादीगण के पिता के कब्जा काश्त में चली आ रही थी आवंटन की शर्तो के अनुसार आवटन होने के दस वर्षो के बाद स्वत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिये थे अर्थात वादीगण का पिता आवंटन होने के दस वर्षो के बाद खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वाद भूमि को आज भी गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूघाराम [illegible] हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवाद[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है किन्तु वादीगण को [illegible] रखा है जिससे [illegible] के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी राज्य सरकार [illegible] द्वारा दी जाने वाली [illegible]ओ से वंचित हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि को वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 851/833 की कुल 5.8160हैक्‍ भूमि का वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 तरतीबी प्रतिवादी है जिनका अनतोष वादीगण में निहित है जिन्होने वादीगण के वाद का स्वीकार किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की 8.00 बीधा , खसरा न0 127 की 15.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि स्थित थी जिसे वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम जाति जाट को दिनांक 16.07.1971 को आवंटित की गई थी।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की 8.00 बीधा व साबिका खसरा न0 127 की 15.00 बीधा कुल 23.00 बीधा को भू0 प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 1448/1179 ,1484/45 ,खसरा न0 43 में परिर्वतन व पैमुद किये गये है जो हाल हैक्टरों में परिर्वतन होकर खसरा न0 1448/1179 की 3.7930हैक्‍ खसरा न0 1484/45 की 0.8220हैक्‍ व खसरा न0 43 की 1.2010हैक्‍ में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है जो वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम के नाम चली आ रही थी उक्त आवंटन से लेकर पहले वादीगण के पिता के कब्जा काश्त में थी वर्तमान में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही ह।

वाद भूमि वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूघाराम को दिनांक 16.07.1971 को आवंटन की गई थी जो वादीगण के पिता के कब्जा काश्त में चली आ रही थी आवंटन की शर्तो के अनुसार आवटन होने के दस वर्षो के बाद स्वत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिये थे अर्थात वादीगण का पिता आवंटन होने के दस वर्षो के बाद खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वाद भूमि को आज भी गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूघाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण है जिनके नाम विरास्तन भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है किन्तु वादीगण को गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ से वंचित हो रहा है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षेत्र में आवंटन नियम 1967/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की कुल 8.00 बीधा खसरा न0 127 की 15.00

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि हेतराम पुत्र रूधाराम जाति जाट साकिन कानसर को दिनांक 19.06.19971 को आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1971 से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि हेतराम पुत्र रूधाराम जाति जाट का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है व वर्तमान राजस्व रिकार्ड से साबित है

अर्थात वाद भूमि हेतराम पुत्र रूधाराम जाति जाट को दिनांक 19.06.1971 को भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादीगण के पिता आवटी हेतराम के देहान्त होने पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रस्तुत रिकार्ड से भी पूर्णत्या साबित है कि वाद भूमि हेतराम एव उसके वारिसान के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज हेतराम पुत्र रूधाराम को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादीगण का पिता आवंटन के 10 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये गैर खातेदार विधि विरूद्व है वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादीगण के पिता हेतराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि वाद भूमि वादीगण के पिता हेतराम को रूधाराम को दिनांक 19.06.19771 को आवंटन की गई थी जिसे दस वर्षो के बाद बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का वादीगण का पिता अधिकारी था किसी कारण वंश खातेदार काश्तकार दर्ज होने से वादीगण के पिता के खातेदारी अधिकार समाप्त नही हो जाते है वह अब भी खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु राज्यहकों को सरुक्षित रखने हेतु अब वादीगण के पिता को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन में आने के कारण उपनिवेशन के नियमों के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन [illegible] विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उनके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवार [illegible] परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन झेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता को भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवटन की गई थी जिसके खातेदारी अधिकारी 10 वर्षो के बाद दे दिये जाने चाहिये थे किन्तु सहवन से खातेदारी अधिकार नही दिये जाने से वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है

राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र जारी किया जाकर निर्देशित भी किया गया है कि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन की गई भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है को एक मुश्त राशि जमा करवाने पर सीधे ही बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा ऐसे आवटियो को राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र जारी किया जाकर राशि जमा करवाने मे छुट भी प्रदान की गई है उसके अनुसार राशि जमा करवाने पर सीधे ही बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा सकता है उक्त परिपत्रों के अधिन वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादीगण के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम जाति जाट साकिन कानसर (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की 8.00 बीधा खसरा न0 127 की 15.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि दिनांक 19.06.1971 को आवंटन की गई थी जो वर्तमान खसरा न0 1448/117 [illegible] 3.7930हैक खसरा न0 1484/45 की 0.8220हैक खसरा न0 43 की 1.2010हैक में [illegible] है एवं आवंटि हेतराम पुत्र रूधाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादीगण एवं [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता हेतराम पुत्र रूधाराम को आवंटन नियम 1957/1970 के नियमों के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 7 की 8.00 बीधा खसरा न0 127 की 15.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि दिनांक 19.06.1971 को आवंटन की गई थी जो वर्तमान खसरा न0 1448/1179 की 3.7930हैक खसरा न0 1484/45 की 0.8220हैक खसरा न0 43 की 1.2010हैक में पैमीद हुई है जो वर्तमान में हेतराम पुत्र रूधाराम के वारिसान के नाम बतोर गैरखातेदार दर्ज है वादीगण के पिता हेतराम को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है वादीगण अब उपनिवेशन नियमों के तहत राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 851/833 की कुल 5.8160हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद में वादीगण संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20,   रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल   (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 रामस्वरूप पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2 दलीप कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3 ज्याना पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4 देवकी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5 विमला पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6 सरस्वती पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 151 सन 2024 निर्णय दिनांक – 26/07/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 851/833 की कुल 5.8160हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद में वादीगण संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/7/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:01 IST
Reason: SelfAttested